भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 166

03.02.2025 को उत्तर के लिए

दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण

166. श्री बेन्नी बेहनन :
श्री रामप्रीत मंडल :
श्री दिनेश चंद्र यादव :
श्रीमती लवली आनंद :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र और आस-पास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है और यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार इस खतरनाक स्थिति के कारणों के संबंध में विशेषज्ञों के साथ परामर्श कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने मौजूदा वायु प्रदूषण नियंत्रण उपायों की प्रभावकारिता का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) पराली जलाने के कारण होने वाले सीमापार के प्रदूषण से निपटने के लिए राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाये गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (घ) :

दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में होने वाला वायु प्रदूषण अनेक कारकों का एक सामूहिक परिणाम है, जिसमें एनसीआर के अधिक घनत्व की आबादी वाले क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर होने वाली मानवजनित गतिविधियां भी शामिल है, जो कि वाहन प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण, निर्माण और विध्वंस परियोजना गतिविधियों से उडने वाली धूल, सड़क और खुले क्षेत्रों से उडने वाली धूल, बायोमास के जलाए जाने, नगरीय ठोस अपशिष्ट को जलाए जाने, लैंडफिल में आग के लगाए जाने, बिखरे हुए स्रोतों से होने वाले वायु प्रदूषण, आदि जैसेविभिन्न क्षेत्रों से उत्पन्न होता है। मानसून के बाद के और सर्दियों के महीनों के दौरान, तापमान के कम होने, कम ऊँचाई पर सम्मिश्रण होने, सामान्य के विपरीत हवा के तापमान में

ऊंचाई के साथ वृद्धि की स्थिति होने और हवाओं के स्थिर होने के कारण प्रदूषकों का फँसना स्वाभाविक हो जाता हैं, जिसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में अधिक प्रदूषण होता है।पराली को जलाए जाने व पटाखों आदि जैसी प्रासंगिक घटनाओं से होने वालेउत्सर्जनके कारण यह प्रदूषण और भी बढ़ जाता है।

दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को कम करने और नियंत्रित करने के उद्देश्य से, एनसीआर और निकटवर्ती के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने जुलाई, 2022 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट व्यापक नीति जारी की है। इसके अलावा, सर्दियों के महीनों के दौरान प्रतिकूल जलवायु और मौसम संबंधी परिस्थितियों के कारण एक्यूआई बिगड़ने पर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी)लागू किया जाता है।

दिल्ली-एनसीआर में विभिन्न स्रोतों (परिवहन, निर्माण और विध्वंस गतिविधियों, उद्योगों आदि) से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अनेक पहलें की गई हैं, जिनके परिणामस्वरूप वायु गुणवत्ता में समग्र सुधार हुआ है। हालाँकि, इनमें से प्रत्येक कार्रवाई की प्रभावशीलता का निरपेक्ष रूप से आकलन नहीं किया जा सकता है क्योंकि मौसम संबंधी मानदण्ड, जैसे हवा की गति और ऊँचाई परमिश्रण जो कि परिवर्तनशील कारक हैं, समग्र वायु गुणवत्ता को नियंत्रित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सभी हितधारकों द्वारा किए गए ठोस प्रयासों के कारण, दिल्ली की वायु गुणवत्ता मेंक्रमिक रूप से सुधार हुआ है। अच्छे-मध्यम वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) श्रेणियों के दिनों की संख्या वर्ष 2016 में 110 दिनों की तुलना में लगातार दो वर्षों अर्थात् वर्ष 2023 और 2024 में बढ़कर 200 से अधिक हो गई है।

दिल्ली सरकार, पंजाब सहित अन्य पड़ोसी एनसीआर राज्यों, उनकी एजेंसियों, एनसीआर और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। सीएक्यूएम और सुरक्षा तथा प्रवर्तन पर इसकी उप-समिति द्वारा जीएनसीटीडी और एनसीआर राज्यों की संबंधित एजेंसियों/विभागों के साथ समीक्षा बैठकें करके और संबंधित विभिन्न एजेंसियों से रिपोर्ट मांगने के माध्यम से प्रगति की सावधिक निगरानी की जाती है।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा दिसंबर, 2023 में धान की पराली के प्रबंधन में सहयोग करने वाली विभिन्न योजनाओं/पहलों के कार्यान्वयन की अभिसारिक और सहकियाशील निगरानी के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) का गठन किया गया है। आईएमसी इन राज्यों में पराली जलाने की घटनाओं की प्रभावी निगरानी और रोकथाम के लिए राज्य सरकारों के साथ नियमित बैठकें करती है।

दिल्ली-एनसीआर में विभिन्न स्रोतों से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न उपायों को **संलग्नक-I** में दिया गया है।

*****

संलग्नक-I

दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम :

1. वायु गुणवत्ता निगरानी और नेटवर्क :

- परिवेशी वायु गुणवत्ता नेटवर्क: देश में 1524 परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों (588 सतत और 966 मैनुअल) का नेटवर्क है, जिसमें दिल्ली और एनसीआर शहरों सहित देश के 550 शहरशामिल हैं।
- सीपीसीबी द्वारा एक केंद्रीकृत वायु गुणवत्ता निगरानी पोर्टल संचालित किया जाता है, जिसमें प्रति घंटे पीएम सांद्रता, निगरानी स्टेशनों के लाइव वायु गुणवत्ता डेटा और लाइव वायु गुणवत्ता सूचकांक जैसी विभिन्न सूचनाओं पर नज़र रखी जाती है।
- सीपीसीबी की वेबसाइट के साथ-साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर भारत के शहरों के एक्यूआई की जानकारी देते हुए दैनिक एक्यूआई बुलेटिन प्रकाशित किया जाता है। वायु प्रदूषण, पटाखे, वाहन प्रदूषण, पराली जलाने, संधारणीय जीवनशैली आदि से संबंधित विभिन्न अभियान और सूचनात्मक पोस्ट भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर नियमित रूप से पोस्ट किए जाते हैं।
- सीपीसीबी, दिल्ली और एनसीआर के शहरों के एक्यूआई, तुलनात्मक एक्यूआई स्थिति, पीएम सांद्रता के वर्षवार रुझान, दिन के हॉटस्पॉट, पराली जलाने के मामले, पराली जलाने से प्रदूषण में हुई वृद्धि और मौसम संबंधी पूर्वानुमान वाली दैनिक रिपोर्ट जारी करता है। यह रिपोर्ट आईएमडी, सफर, आईएआरआई, आदि जैसे विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध इनपुट के आधार पर तैयार की जाती है और सीपीसीबी वेबसाइट के माध्यम से प्रसारित की जाती है।

2. दिल्ली-एनसीआर में नियामक कार्रवाई :

- वायु प्रदूषण के स्तर में अचानक वृद्धि की समस्या से निपटने हेतु दिल्ली-एनसीआर के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) तैयार किया गया था, जिसे सीपीसीबी की अनुशंसा पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जनवरी, 2017 में कार्यान्वयन के लिए अधिसूचित किया गया था। हाल के वर्षों में वायु गुणवत्ता के संबंध में किए गए कार्यों और देखे गए सुधार के आधार पर सीपीसीबी द्वारा वर्ष 2020 में जीआरएपी के तहत सूचीबद्ध कार्यों की व्यापक समीक्षा की गई थी। सीपीसीबी द्वारा दिए गए इनपुट के आधार पर, संशोधित जीआरएपी को एनसीआर और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसके कार्यान्वयन के लिए आगे के निर्देश जारी किए गए थे। जीआरएपी के तहत विभिन्न एक्यूआई स्तरों के लिए सूचीबद्ध कार्यों को समय-समय पर सीएक्यूएम द्वारा गठित एक उप-समिति द्वारा लागू किया जाता है, जिसमें सीपीसीबी एक सदस्य होता है।

- दिल्ली/एनसीआर में वायु प्रदूषण को कम करने और नियंत्रित करने के लिए, एनसीआर और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने जुलाई 2022 में एनसीआर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए एक व्यापक नीति तैयार की है, जिसमें एनसीआर राज्यों में विभिन्न एजेंसियों हेतु समय सीमा और कार्यान्वयन योजना के साथ-साथ क्षेत्र-विशिष्ट कार्य बिंदु निर्धारित किए गए हैं। नीतिगत ढांचे में वायु प्रदूषण में योगदान देने वाले विभिन्न क्षेत्रों के लिए क्षेत्रवार कार्यकलाप, निर्धारित लक्ष्य और समय सीमा का विवरण दिया गया है।

- सीएक्यूएम द्वारा विभिन्न स्रोतों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उपाय जैसे कि डीजी सेट में आरईसीडी सिस्टम/डबल फ्यूल किट लगाना, उद्योगों में स्वच्छ ईंधन का उपयोग, परिवहन क्षेत्र में ईवी/सीएनजी/बीएसVI डीजल ईंधन का उपयोग, सीएंडडी स्थलों पर धूल नियंत्रण उपायों का क्रियान्वयन आदि, निर्धारित करने के निदेश जारी किए गए हैं, जिसमें सीपीसीबी भी एक सदस्य है और उसके द्वारा सीएक्यूएम को तकनीकी जानकारी प्रदान की जाती है। इसके अलावा, एनसीआर में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए नीति भी तैयार की गई है।

3. दिल्ली-एनसीआर में पराली जलाने से होने वाले उत्सर्जन पर नियंत्रण के उपाय :

- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2018 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी की खरीद और कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) की स्थापना के लिए सब्सिडी प्रदान करने की योजना शुरू की थी। वर्ष 2018 से 2024-25 (दिनांक 15.11.2024 तक) की अवधि के दौरान, कुल 3623.45 करोड़ रुपये (पंजाब-1681.45 करोड़ रुपये, हरियाणा-1081.71 करोड़ रुपये, उत्तर प्रदेश-763.67 करोड़ रुपये, दिल्ली एनसीटी-6.05 करोड़ रुपये और आईसीएआर-83.35 करोड़ रुपये) जारी किए गए हैं। राज्यों ने इन 4 राज्यों में व्यक्तिगत किसानों को और 40000 से अधिक सीएचसी को 3.00 लाख से अधिक मशीनें वितरित की हैं, जिनमें 4500 से अधिक बेलर और रेक भी शामिल हैं जिनका उपयोग गांठों के रूप में पराली को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2023 में मशीनरी और उपकरणों की पूंजीगत लागत पर वित्तीय सहायता प्रदान करके फसल अवशेष/धान के भूसे की आपूर्ति श्रृंखला की स्थापना को सहायता देने के लिए योजना के तहत दिशानिर्देशों को संशोधित किया है।

- पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की राज्य सरकारें, दिल्ली सरकार, एनसीआर राज्यों के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) और विभिन्न अन्य हितधारकों जैसे इसरो, आईसीएआर, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) के साथ आयोजित बैठकों की श्रृंखला में किए गए विचार-विमर्श और चर्चाओं के आधार पर, सीएक्यूएम ने फसल अवशेष जलाने पर नियंत्रण/इसके उन्मूलन के लिए संबंधित राज्यों को एक रूपरेखा प्रदान की

है और उन्हें रूपरेखा की प्रमुख विन्यासों के आधार पर विस्तृत राज्य-विशिष्ट कार्य योजनाएं तैयार करने का निर्देश दिया है।

- धान की पराली के बाह्य स्थाने प्रबंधन में सहायता देने वाली योजनाओं/पहलों के अभिसरण के लिए विशेष सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी समिति गठित की गई है।

- सीएक्यूएम ने दिल्ली, जहां केवल पीएनजी को औद्योगिक ईंधन के रूप में अनुमति दी गई है, को छोड़कर एनसीआर में औद्योगिक ईंधन के रूप में पीएनजी या बायोमास के उपयोग की अनुमति देने के निर्देश जारी किए हैं। सीएक्यूएम ने दिल्ली के 300 किलोमीटर के भीतर स्थित तापीय विद्युत संयंत्रों और एनसीआर में स्थित औद्योगिक इकाइयों के कैप्टिव विद्युत संयंत्रों में कोयले के साथ 5-10% बायोमास के सह-दहन के निर्देश भी जारी किए हैं।

- सीएक्यूएम द्वारा पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों को पराली जलाने की समस्या को समाप्त करने और नियंत्रित करने के लिए संशोधित कार्य योजना को सख्ती और प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश जारी किए गए।

- सीएक्यूएम द्वारा दिनांक 10.06.2021 को जारी निर्देश के माध्यम से नियत कार्यढांचे के आधार पर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और एनसीटी दिल्ली सरकार को वर्ष 2021, 2022 और 2023 की जानकारी के आधार पर राज्य विशिष्ट विस्तृत, निगरानी योग्य कार्य योजनाएं तैयार करने के लिए सलाह दी गई। संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वर्ष 2024 की कार्य योजनाओं की समीक्षा की गई, इनको अद्यतन किया गया और इन्हें अंतिम रूप दिया गया। तदनुसार, वर्ष 2024 के दौरान धान की पराली जलाने के निवारण और नियंत्रण के लिए इस कार्यढ़ांचे और संशोधित कार्य योजना के सख्त कार्यान्वयन के लिए संबंधित राज्यों को दिनांक 12.04.2024 को एक वैधानिक निर्देश जारी किए गए ताकि इनके सख्त प्रवर्तन के माध्यम से इस प्रथा को समाप्त किया जा सके।

- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने धान की पराली के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पेलेटाइजेशन और टॉरफिकेशन संयंत्रों की स्थापना के लिए पर्यावरण संरक्षण शुल्क निधि के तहत एकमुश्त वित्तीय सहायता देने के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं। 28 लाख रुपये प्रति टन प्रति घंटा (टीपीएच), या 01 टीपीएच संयंत्र के संयंत्र और मशीनरी, जो भी कम हो, के लिए विचारित पूंजीगत लागत का 40% प्रति प्रस्ताव 1.4 करोड़ रुपये की अधिकतम कुल वित्तीय सहायता के साथ एकमुश्त वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान किया जाता है। टॉरफिकेशन प्लांट की स्थापना के मामले में, 56 लाख रुपये प्रति टीपीएच, या 01 टीपीएच संयंत्र के संयंत्र और मशीनरी, जो भी कम हो, के लिए विचारित पूंजीगत लागत का 40%प्रति प्रस्ताव 2.8 करोड़ रुपये की अधिकतम कुल वित्तीय सहायता के साथ एकमुश्त वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान किया जाता है।

- अब तक सीपीसीबी के उक्त दिशा-निर्देशों के तहत पेलेटाइजेशन और टॉरफिकेशन संयंत्र की स्थापना के लिए कुल 17 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 02 संयंत्र नहीं लगे हैं। स्वीकृत 15 संयंत्र की पेलेट उत्पादन क्षमता 2.07 लाख टन/वर्ष है। इन संयंत्रों से प्रतिवर्ष 2.70 लाख टन धान की पराली का उपयोग होने की उम्मीद है।

- वर्ष 2023 (दिनांक 10.11.23 से आगे) के पराली जलाने के मौसम के दौरान, पंजाब के 22 जिलों और हरियाणा के 11 जिलों में धान की पराली जलाने की घटनाओं की रोकथाम के लिए निगरानी और प्रवर्तन कार्रवाई को तेज करने हेतु एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में सीएक्यूएम की सहायता के लिए सीपीसीबी के 33 वैज्ञानिकों को उड़न दस्तों के रूप में तैनात किया गया था। इन उड़न दस्तों ने राज्य सरकार/नोडल अधिकारियों/संबंधित जिलों के अधिकारियों के साथ समन्वय किया और सीएक्यूएम को अपनी दैनिक रिपोर्ट भेजी।

- सीपीसीबी ने पराली जलाने के संबंध में निगरानी और प्रवर्तन कार्रवाई को तेज करने के लिए 01 अक्टूबर से 30 नवंबर, 2024 की अवधि के लिए 26 टीमों (पंजाब के 16 जिलों और हरियाणा के 10 जिलों में) को तैनात किया है। ये टीमें राज्य सरकार द्वारा जिला स्तर पर तैनात संबंधित

  अधिकारियों/अधिकारियों के साथ समन्वय कर रही हैं और सीएक्यूएम को रिपोर्ट कर रही हैं।

- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 31 केंद्रीय टीमों को तैनात किया था, जिन्होंने 1-15 सितंबर, 2024 तक पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों में गुणवत्ता सर्वेक्षण कार्य किया है और टीमों ने 275 निर्माताओं का दौरा किया और 910 कृषि मशीनों का गुणवत्ता ऑडिट किया। इसके अलावा, 10 केंद्रीय टीमों ने 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2024 के दौरान पंजाब और हरियाणा राज्यों में मशीनों के उपयोग पर सर्वेक्षण किया है। डीएएंडएफडब्ल्यू, सीएक्यूएम और आईसीएआर और अन्य हितधारकों के सदस्यों वाली एक टीम ने 14 नवंबर, 2024 को धान की पराली प्रबंधन की गतिविधियों को देखने के लिए पंजाब राज्य का दौरा किया था।

4. वाहनों से होने वाले उत्सर्जन पर नियंत्रण के उपाय :

- सीएक्यूएम द्वारा दिल्ली सरकार और हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों को सार्वजनिक परिवहन सेवाओं, विशेष रूप से एनसीआर में बसों को स्वच्छतर साधनों में परिवर्तित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। दिल्ली और हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश राज्यों के किसी भी शहर/कस्बे के बीच चलने वाली सभी राज्य सरकारों की बस सेवाएं 01.11.2023 से केवल ईवी/सीएनजी/बीएस-VI डीजल के माध्यम से संचालित की जाएंगी।

- माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय एनजीटी के आदेशों के अनुपालन में दिल्ली-एनसीआर में 3256 पेट्रोल पंपों पर वीआरएस प्रणाली की स्थापना की गई है।

5. औद्योगिक उत्सर्जन नियंत्रण के उपाय

- दिल्ली-एनसीआर में लाल श्रेणी के वायु प्रदूषणकारी उद्योगों में ऑनलाइन सतत उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) की स्थापना।
- दिल्ली में औद्योगिक इकाइयां पीएनजी/स्वच्छतर ईंधन पर परिवर्तित हो गई हैं, तथा एनसीआर में परिचालन इकाइयां पीएनजी/बायोमास पर परिवर्तित हो गई हैं।
- दिल्ली और एनसीआर में ईंट भट्टों को जिग-ज़ैग तकनीक में बदलने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। हरियाणा में 1762 भट्टे, उत्तर प्रदेश में 1024 भट्टे और राजस्थान में 217 भट्टे सहित कुल 4608 ईंट भट्टों में से 3003 भट्टों को जिग-ज़ैग तकनीक में बदल दिया गया है। जिन ईंट भट्टों को जिग-ज़ैग तकनीक में नहीं बदला गया है, उन्हें संचालित करने की अनुमति नहीं है।
- डीजी सेट उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए, सीपीसीबी दिल्ली-एनसीआर में सरकारी अस्पतालों में डीजी सेटों के रेट्रोफिटमेंट/उन्नयन के लिए वित्त पोषण प्रदान करता है और इस संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
- 24 अक्टूबर, 2017 से एनसीआर राज्यों में ईंधन के रूप में पेट्ट कोक और फर्नेस ऑयल के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
- दिल्ली-एनसीआर में 01.01.2023 से अनुमोदित ईंधनों की सूची लागू है। तकनीकी, प्रौद्योगिकीय और प्रक्रिया आवश्यकताओं के कारण विशिष्ट उद्योगों द्वारा अन्य ईंधन की विशिष्ट आवश्यकता को छोड़कर, केवल पीएनजीया बायोमास पर चलने वाले उद्योगों को हीएनसीआर में अनुमति दी गई है। एनसीआर में 7759 ईंधन आधारित उद्योगों में से 7449 कोअनुमोदित किए गए ईंधनों पर परिवर्तित कर दिया गया है, जबकि शेष 310 उद्योग बंद होने की स्थिति में हैं।
- एनसीआर में अनुपालन हेतु बायोमास आधारित बॉयलरों के लिए कड़े पीएम उत्सर्जन मानदंड निर्धारित किए गए हैं।

6. निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट

- सीएंडडी स्थलों पर एंटी-स्मॉग गन लगाने और अन्य धूल नियंत्रण उपायों को लागू करने के लिए डीपीसीसी और एनसीआर एसपीसीबी को निर्देश जारी किए गए।
- एनसीआर में धूल नियंत्रण उपायों की निगरानी और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सड़क स्वामित्व/रखरखाव/निर्माण एजेंसियों द्वारा "धूल नियंत्रण और प्रबंधन प्रकोष्ठ" स्थापित करने के निर्देश जारी किए गए।

- निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण उपायों के अनुपालन की निगरानी के लिए ऑनलाइन निगरानी तंत्र (वेब पोर्टल के माध्यम से) शुरू किया गया।

7. दिल्ली-एनसीआर में गहन निगरानी और जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन

- दिसंबर 2021 से सीपीसीबी ने सीएक्यूएम की सहायता के लिए 40 टीमों को दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषणकारी उद्योगों, सीएंडडी साइटों, डीजी सेटों का गुप्त निरीक्षण करने के लिए तैनात किया है ताकि प्रदूषण नियंत्रण उपायों की कार्यान्वयन स्थिति और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्य प्रावधानों के अनुपालन की जांच की जा सके।

8. राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम :

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) द्वारा जनवरी, 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य सभी हितधारकों को शामिल करके 24 राज्यों के 130 शहरों (मानकों को पूरा न करने वाले और दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों) में वायु गुणवत्ता में सुधार करना है।
- दिल्ली एनसीआर में कुल 06 मानकों को पूरा नहीं करने वाले (नॉन-अटेन्मेंट) साइट्स (एनएसी) हैं, जिनमें से 03 शहर - दिल्ली, अलवर और नोएडा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के तहत वित्त पोषित हैं और 03 शहर- गाजियाबाद, मेरठ और फरीदाबाद पंद्रहवें वित्त आयोग (XV-FC) के तहत वित्त पोषित हैं।
- सभी 06 चिन्हित शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए शहरी कार्य योजनाएं भी कार्यान्वयन के लिए शुरू की गई हैं।

9. अन्य :

- **"एक पेड़ माँ के नाम"** अभियान के तहत दिल्ली- एनसीआर राज्यों में 2.07 करोड़ पेड़ (दिल्ली में 2.06 लाख पेड़, हरियाणा में 61 लाख पेड़, उत्तर प्रदेश में 1.11 करोड़ पेड़ और राजस्थान में 32.9 लाख पेड़) लगाए गए हैं।

****